बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

डॉ0 राम किशोर सिंह, सेवानिवृत सह–प्राध्यापक, एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के द्वारा M.Sc. इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की मान्यता से संबंधित आहूत बैठक में दिनांक–24.07.2017 को बिना पूर्वानुमति के भाग लेकर सरकार एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशों के विपरीत मंतव्य देने एवं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के आरोप में उनसे विभागीय पत्रांक–2396 दिनांक–03.10.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. डॉ0 राम किशोर सिंह, सेवानिवृत सह–प्राध्यापक से प्राप्त स्पष्टीकरण को संतोषप्रद नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प सं0–3103 दिनांक 29.12.2017 के द्वारा उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 'बी0' के निहित प्रावधानों के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. विभागीय जॉच पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि डॉ सिंह ने विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की बैठक में सदस्य के रूप में भाग लिया है तथा संबंधित बैठक में इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि M.Sc. Engg. की डिग्री, AICTE से मान्यता प्राप्त नही है। उनके द्वारा समिति की बैठक में M.Sc. Engg. की अनुमान्यता को सही बताते हुए कार्यवाही प्रतिवेदन पर विभागीय पदाधिकारी के रुप में हस्ताक्षर किया गया है। परिमाणतः इस कारण अभियंत्रण महाविद्यालय में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति की प्रकिया दूषित होने की संभावना उत्पन्न हो गयी । संचालन पदाधिकारी ने जॉचोपरान्त अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि डॉ सिंह को भॅलिभाँति इस बात की जानकारी थी कि तकनीकी शिक्षा संस्थान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता के बिना स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जा सकते हैं। इसके बावजूद डॉ सिंह ने विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के सदस्य के रुप में भाग लिया तथा संबंधित बैठक में इस तथ्य को प्रगट नहीं किया। डॉ सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप संचालित पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये।

4. जॉच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आरोपित पदाधिकारी डॉ0 सिंह से विभागीय पत्रांक–2297 दिनांक–30.08.2018 के द्वारा अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गयी । द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्योत्तर में डॉ0 सिंह ने समिति की बैठक में शामिल होने की सूचना नियंत्रित पदाधिकारी को नहीं देने, M.Sc. Engg. डिग्री की A.I.C.T.E. मान्यता प्राप्त नहीं होने की जानकारी समिति की बैठक में नहीं देने के बिन्दु पर अभ्यावेदन में कोई संतोषजनक तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए डॉ0 सिंह द्वारा दिया गया अभ्यावेदन(द्वितीय कारण पृच्छा) संतोषप्रद नहीं पाया गया।

5. वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डा0 सिंह सेवानिवृत, सह–प्राध्यापक, एम0आई0टी0, मुजफफरपुर के बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 'बी' के निहित प्रावधान के अधीन एक वर्ष के लिए मासिक पेंशन की राशि से 5% की कटौती का निर्णय लिया गया।

6. विभागीय पत्रांक–3557 दिनांक–31.12.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से प्रस्तावित दण्ड पर परामर्श की मांग की गयी। आयोग ने अपने पत्रांक–3587 दिनांक–28.03.2019 के द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है।

7. अतएव डा0 राम किशोर सिंह, सेवानिवृत सह– प्राध्यापक के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत उनके मासिक पेंशन का 5% राशि एक वर्ष के लिए कटौती की जाती है।

29.4.19

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–वि0 प्रा0(I) आ0–01/2017– 1412 /पटना, दिनांकः– 29-4-2013

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, (विभागीय आई0टी0 मैनेजर के माध्यम से) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.4.19

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–वि0 प्रा0(I) आ0–01/2017– 1412 /पटना, दिनांकः– 29.4.2019

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सभी विभागीय पदाधिकारी/डा0 राम किशोर सिंह, नन्द बिहार कॉलोनी मिठनपुरा, आवास सं0– **L-21**, पोस्ट–रमना, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन–800842/आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.4.19

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–वि0 प्रा0(I) आ0–01/2017– 1412 /पटना, दिनांकः– 29-4-2019

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

29.4.19

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।